कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन – 1, चतरा 825401 (झारखण्ड)
E-mail: cf.chatra@gmail.com

पत्रांक : 463 दिनांक 12/08/25

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।

विषय :– **132 KV D/C चतरा से हण्टरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल–29.8774 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल –23.3355 हे0 कुल 53.2129 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक 1575 दिनांक 02.07.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत कतिपय त्रृटियाँ एव आवश्यक अभिलेख संलग्न नही है, जो निम्नवत् है:–

1. **पृच्छा संख्या 01** के अनुपालन में अवैध रूप से गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी 15 टॉवर का निर्माण किये जाने आलोक में भूमि स्वामित्व उपायुक्त चतरा द्वारा Penal NPV लगाने हेतु अनुरोध किया गया है तो फिर आपके द्वारा Penal NPV का प्रस्ताव क्यों नहीं समर्पित किया गया है, स्पष्ट करें। साथ ही निदेशित किया जाता है कि 15 टॉवरों का निर्माण में प्रभावित रकबा स्पष्ट करें एवं हुए उल्लंघन के विरूद्ध Penal NPV का प्रस्ताव समर्पित करना सुनिश्चित करें।
2. **पृच्छा संख्या 02** के अनुपालन में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् समर्पित प्रस्ताव के उपरांत किये गये उल्लंघन के विरूद्ध आवश्यक अभिलेख की मांग की गई है, जिसमें आपके द्वारा उल्लेख है कि गैर मजरूआ जगंल–झाडी भूमि में किये गये उल्लंघन के विषय में आपको कोई जानकारी नही होती है, ऐसा कहना क्या एक वरीय पदाधिकारी के लिए शोभनीय/उचित है।

   ज्ञात हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संख्या 202/1995 दिनांक 12.12.1996 में गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि को (Deemed Forest) माना गया है। इस प्रकार गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि में भी गैर वानिकी कार्य किया जाना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का घोर उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में संलिप्त व्यक्तियों (पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों) के विरूद्ध की गई कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

विश्वासभाजन

12/08/2025

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा

OLC